

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

क्रमांक: प.1(12)जविप्रा / नासेके / 2020 / डी. 247

दिनांक : 12/11/2021

कार्यालय-आदेश

राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग द्वारा के तहत प्रदत्त निर्देशों के क्रम में लीज होल्ड से फी होल्ड पट्टा जारी करने हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/बोर्ड/जिला कलेक्टर द्वारा आवासीय/वाणिज्यक/संस्थानिक/मिश्रित उपयोग हेतु जारी की गई 99 वर्षीय लीजडीड को 10 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर अथवा 8 वर्ष की एक मुश्त लीज जमा कराकर लीजमुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये प्रकरणों में 2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर फी होल्ड पट्टा दिया जावे। अभ्यर्पण (प्रारूप-1 सलंगन) के अनुसार पुरानी लीजडीड को जयपुर विकास प्राधिकरण में समर्पण किये जाने के पश्चात् पुरानी लीजडीड के पंजीयन का उल्लेख करते हुए नया फी होल्ड पट्टा जारी किया जावे। साथ ही उप पंजीयक कार्यालय हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे।
2. जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/बोर्ड/जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई लीजडीड/पट्टे पश्चात् पंजीकृत विक्रय/वसीयत/गिफ्ट/उप-विभाजन/पुर्नगठन/भू-उपयोग परिवर्तन के निर्णय आदि के आधार पर अधिसूचना 04.01.2021 के अनुसार निर्धारित राशि लेकर 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज राशि एक मुश्त जमा कराकर फी होल्ड पट्टा दिया जावे। अभ्यर्पण (प्रारूप-2 सलंगन) के अनुसार पुरानी लीजडीड को जयपुर विकास प्राधिकरण में समर्पण किये जाने के पश्चात् पुरानी लीजडीड के पंजीयन का उल्लेख करते हुए नया फी होल्ड पट्टा जारी किया जावे। साथ ही उप पंजीयक कार्यालय हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जावे।


ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगे।

सलंगन :- 1. अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Rights) के 02 प्रारूप ।
2. उप पंजीयक कार्यालय में पंजीयन हेतु प्रमाण पत्र


(हृदेश कुमार शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा जयपुर
3. पुलिस अधीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक(वित्त/आयोजना/विधि/अभियांत्रिकी-प्रथम/द्वितीय), जविप्रा जयपुर
5. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त प्रशासन/एलपीसी/पीआरएन, जविप्रा, जयपुर
6. निजी सचिव, संयुक्त आयुक्त(एस.एम.), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन 1 से 14, पीआरएन नोर्थ/दक्षिण-प्रथम व द्वितीय, जविप्रा जयपुर
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर।
9. प्रभारी अधिकारी, नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा जयपुर


(गुरेन्द्र सिंह भाटी)
संयुक्त आयुक्त(एस.एम.)

(मूल लीजडीड धारक के लिए)

अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed(पट्टा))

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पति.....
 आयु.....जाति.....निवासी.....
 आधार कार्ड न.....मोबाइल न.....का हूँ। यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण
 क्षेत्राधिकार में स्थित योजना/कॉलोनी.....के भूस.....
 का लीजहोल्डर पट्टाधारक हूँ। मैं अब उक्त भूखण्ड के लीज होल्ड पट्टाभिलेख को समर्पित कर फ़ी-होल्ड पट्टा
 लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ के संबंध में शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह है कि योजनास्थान.....में भूखण्ड सं.....क्षेत्रफल.....वर्गमीटर/वर्गगज और जो अपनी सीमा एवं क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके सलंगन नक्शे में दिखाया गया है, को आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ 99 वर्ष के लिए रु.वार्षिक लीज पर विक्रय/आवंटित/नियमित किया जाकर उक्त भूखण्ड/भवन का पट्टाभिलेख उप पंजीयक कार्यालय.....में पंजीकृत करवाया गया था, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....में पृष्ठ संख्या.....क्रम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चर्चा किया हुआ है।
2. यह कि अभ्यर्पणकर्ता को जिला कलेक्टर/नगर विकास न्यास/नगर विकास बोर्ड द्वारा भूसं....योजना.....के लिये जो लीज होल्ड पट्टाभिलेख जारी किया गया था को फ़ी-होल्ड पट्टा लेने हेतु समर्पित कर रहा हूँ। उक्त भूखण्ड ना ही कही रहन रखा गया है ना ही किसी प्रकार से विक्रय/हस्तांतरित किया गया है।
3. यह है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड मेरे पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक.....को जारी की गई थी जारी किये जाने के उपरान्त मेरे द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान.....में रहन रखी हुई थी जो मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल ही प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त लीजडीड के आधार पर फ़ी होल्ड लीजडीड जारी कर दी जाये जारी होने के उपरान्त मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा करवा दी जावेगी उसके लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा।
4. यह है कि अभ्यर्पणकर्ता समर्पित किये जाने वाले भूखण्ड के उतने हिस्से का ही एक मात्र स्वामी व वैध कब्जेधारी है जो अभ्यर्पणनामा में वर्णित है जिसका अभ्यर्पणनामा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित अभ्यर्पणनामा में अकित समस्त तथ्य सही हैं। इसकी मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया हैं। इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्ज्वल विवाद होगा तो उसका निपटारा भी अभ्यर्पणकर्ता द्वारा अपने हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा। इस भूखण्ड के प्रति किसी भी न्यायालय में कोई भी राजकीय/निजी वाद विचाराधीन नहीं हैं।
6. यह कि 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज अथवा जो भी बकाया राशि देय होगी वह भी अभ्यर्पणकर्ता प्राधिकरण कोष में जमा कराने हेतु अपनी सहमति देता है।
7. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मैं स्वयं तथा मेरे विधिक वारिसान उक्त अभ्यर्पणनामा के आधार पर पाबन्द रहेंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेंगे।

उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 7 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण अभ्यर्पणनामा में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं मेरा दावा स्वत ही निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

सत्यापन

यह है कि उक्त अभ्यर्पणनामा के बिन्दु सं. 1 से 7 तक की सूचना मेरी/हमारी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है, इसमें मैंने /हमने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। अतः यह अभ्यर्पणनामा मैंने/हमने होश-हवाश व स्थिर बुद्धि व बिना दबाव के स्वेच्छा से 100/- के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया हैं जो जरूरत पड़े तो काम आवें।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

दिनांक :

स्थान :

नोट :- उक्त अभ्यर्पणनामा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होकर अधिकृत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना आवश्यक है।

(मूल लीजडीड धारक के स्थान पर अन्य आवेदकों के लिए)

अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed(पट्टा))

मैं/हमपुत्र/पुत्री/पति.....
 आयु.....जाति.....निवासी.....
 आधार कार्ड न.....मोबाइल न.....का हूँ। यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण
 क्षेत्राधिकार में स्थित योजना/कॉलोनी.....के भूस.....
 का लीजहोल्डर पट्टाधारक हूँ। मैं अब उक्त भूखण्ड के लीज होल्ड पट्टाभिलेख को समर्पित कर फी-होल्ड पट्टा
 लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ के संबंध में शपथपूर्वक बयान करता हूँ करती हूँ कि :-

1. यह है कि योजनारथान.....में भूखण्ड सं.....क्षेत्रफल.....वर्गमीटर/वर्गगज और जो अपनी सीमा एवं क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके सलांगन नकशे में दिखाया गया है, को आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ 99 वर्ष के लिए रु.वार्षिक लीज पर विक्रय/आवंटित/नियमित किया जाकर उक्त भूखण्ड/भवन का पट्टाभिलेख उप पंजीयक कार्यालय.....में पंजीकृत करवाया गया था, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....में पृष्ठ संख्या.....क्रम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चर्पा किया हुआ है।
 2. यह कि अभ्यर्पणकर्ता को जविप्रा/जिला कलेक्टर/नगर विकास बोर्ड द्वारा लीज होल्ड पट्टाभिलेख जो कि भूसं.....योजना.....के लिये श्री/श्रीमतीको जारी किया गया था तदुपरान्त यह भूखण्ड विक्रय पत्र / दानपत्र / वसीयत / सहमति से बटवारा/गोदनामा/उत्तराधिकार/सक्षम न्यायालय की डिक्री के आदेशानुसार/उप विभाजन/पुनर्गठन/एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर जो कि उप पंजीयक कार्यालय.....में पंजीकृत हुआ है, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....में पृष्ठ संख्या.....क्रम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चर्पा किया हुआ है के आधार पर मेरे / हमारे नाम से हस्तान्तरित हुआ है/अब होगा को अब मेरे/हमारे द्वारा फी-होल्ड पट्टा लेने हेतु समर्पित कर रहा/रही/रहे/हूँ/है। मेरे/हमारे द्वारा उक्त भूखण्ड ना ही कही रहन रखा गया है और ना ही किसी प्रकार से विक्रय/हस्तान्तरित किया गया है, अर्थात उक्त भूखण्ड का निर्विवाद रूप से एक मात्र स्वामित्व मेरा है। अगर एक से अधिक बार भूखण्ड हस्तान्तरण हुआ है तो उक्तानुसार समस्त सूचना अंकित करते हुये मूल दस्तावेजात प्रस्तुत कर रहा/रही/रहे/हूँ/है।
 3. यह है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड मेरे पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक.....को जारी की गई थी जारी किये जाने के उपरान्त मेरे द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान.....में रहन रखी हुई थी जो मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल ही प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त लीजडीड के आधार पर फी होल्ड लीजडीड जारी कर दी जाये जारी होने के उपरान्त मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा करवा दी जावेगी उसके लिये मैं जिम्मेदार रहूँगा।
 4. यह है कि अभ्यर्पणकर्ता समर्पित किये जाने वाले भूखण्ड के उत्तरे हिस्से का ही एक मात्र स्वामी व वैध कब्जेधारी है जो अभ्यर्पणनामा में वर्णित है जिसका अभ्यर्पणनामा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
 5. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि मेरे द्वारा निष्पादित अभ्यर्पणनामा में अंकित समस्त तथ्य सही हैं। इसकी मैं/हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। मैरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया है। इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्ज्वल/विवाद होगा तो उसका निपटारा भी अभ्यर्पणकर्ता द्वारा अपने हर्जे खर्च पर कराया जावेगा। इस भूखण्ड के प्रति किसी भी न्यायालय में कोई भी राजकीय/निजी वाद विचाराधीन नहीं है।
 6. यह कि 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज अथवा जो भी बकाया राशि देय होगी वह भी अभ्यर्पणकर्ता प्राधिकरण कोष में जमा कराने हेतु अपनी सहमति देता है।
 7. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मैं स्वयं तथा मेरे विधिक वारिसान उक्त अभ्यर्पणनामा के आधार पर पाबन्द रहेंगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेंगे।
- उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 7 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण अभ्यर्पणनामा में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं मेरा/हमारा दावा स्वत ही निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

सत्यापन

यह है कि उक्त अभ्यर्पणनामा के बिन्दु सं. 1 से 7 तक की सूचना मेरा/हमारी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है; इसमें मेरे/हमने द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। अतः यह अभ्यर्पणनामा मैने/हमने होश-हवाश व स्थिर बुद्धि व बिना दबाव के स्वेच्छा से 100/- के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया हैं जो जरूरत पड़े तो काम आवें।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

दिनांक :

स्थान :

नोट :- उक्त अभ्यर्पणनामा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होकर अधिकृत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना आवश्यक है।

(500/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

परिशिष्ठ

पंजीयन हेतु प्रमाण पत्र

यह कि जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास/बोर्ड/निजी खातेदारी/सहकारी समिति की योजना/कॉलोनी.....
स्थान.....भूखण्ड/निर्मित आवास सं.....क्षेत्रफल.....
श्री/श्रीमती/सुश्री.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी.....को क्रमांक.....
दिनांक.....द्वारा जारी किया गया था। उक्त लीजडीड (पट्टा) को दिनांक.....
को ऑफ/ऑन लाईन माध्यम से फ़ी होल्ड लीज डीड (पट्टाभिलेख) जारी करने हेतु
आवेदन के साथ अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed(पट्टा)) हेतु प्रस्तुत
किया है।

राजस्थान सरकार के प्रचलित आदेशों के क्रम में उक्त भूखण्ड / निर्मित आवास
मूल/विक्रय पत्र / दानपत्र/ वसीयत/ सहमति से बैटवारा/गोदनामा/उत्तराधिकार/सक्षम
न्यायालय की डिक्री के आदेशानुसार/उप विभाजन/पुनर्गठन /एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों
के आधार पर श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी
जो कि उप पंजीयक कार्यालय.....मे पंजीकृत हुआ है, जो दिनांक.....
पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या..... में पृष्ठ संख्या..... क्रम संख्या.....
पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....
के पृष्ठ संख्या.....पर चर्स्पा हुआ है। को आज दिनांक..... जविप्रा मे
लीजडीड एवं श्रखलाबद्ध मूल दस्तावेज प्राप्त किये जा चुके है।

अतः श्री/श्रीमती/सुश्री.....
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
निवासी
के पक्ष मे दिनांकको फ़ी होल्ड लीज डीड (पट्टाभिलेख) एवं नवीन साईट प्लान
जारी किया गया ।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी

जोन—

जविप्रा जयपुर ।